भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 934
दिनांक 28 जुलाई, 2025

आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा उपाय और सुरक्षा ऑडिट

934 # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि सभी पेट्रोल और गैस स्टेशन आग की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त अग्नि सुरक्षा उपायों से लैस हों;
(ख) क्या सरकार प्रत्येक पेट्रोल और गैस स्टेशन के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है; और
(ग) क्या सरकार पेट्रोल और गैस स्टेशनों पर कर्मचारियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है ताकि वे आग की आपात स्थितियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकें?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क)और (ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने पीएनजीआरबी (ऑटोमोटिव ईंधन के वितरण के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देश) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मोटर स्पिरिट (एमएस), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), ऑटो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (ऑटो एलपीजी), संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), तरलीकृत संपीड़ित प्राकृतिक गैस (एलसीएनजी) और संबंधित प्रकार जैसे ऑटोमोटिव ईंधन वितरित करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) में आग से बचाव तथा सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। उक्त विनियमन के अनुसार, कोई भी कंपनी जो किसी खुदरा बिक्री केंद्र को स्थापित करने का इरादा रखती है, उसे इन विनियमों के अनुरूप डिजाइन संबंधित विचार सहित अपनी योजना पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) को उसके अनुमोदन के लिए उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा, पीएनजीआरबी ने (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना के लिए आचार संहिता(ईआरडीएमपी)) विनियम, 2010 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत आरओज के स्वामित्व वाली कंपनियों को आपातकालीन नियंत्रण प्रणालियों और सुविधाओं जिसमें अग्नि सुरक्षा और अग्निशमन प्रणाली आदि शामिल हैं, की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी ।

पीएनजीआरबी तकनीकी मानक और विनिर्देश, सुरक्षा मानकों सहित निम्नलिखित उपायों को अधिदेशित करते हैं:

i. तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के किसी भी अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वार्षिक सुरक्षा ऑडिट।

ii. प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार विद्युत सुरक्षा ऑडिट।

iii. डीलरशिप अथवा प्रचालन कर्मियों द्वारा साप्ताहिक सुरक्षा जाँच।

iv. पीएनजीआरबी-ईआरडीएमपी विनियमों के अनुसार यथाअधिदेशित तिमाही आधार पर मॉक ड्रिल का आयोजन करना।

ये प्रावधान सामूहिक रूप से पेट्रोल और गैस स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा सहित सुरक्षा मानदंडों की नियमित निगरानी और पालन सुनिश्चित करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने बताया है कि उनके आरओज में पीईएसओ दिशानिर्देशों के अनुसार अग्नि सुरक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी खुदरा बिक्री केंद्र को पेट्रोलियम नियम 2002, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है, में निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन करने के बाद ही कमीशन किया जाता है। उक्त शर्तों के अनुपालन के बाद ही पीईएसओ, ओएमसीज को आरओज प्रचालित करने का लाइसेंस प्रदान करता है। इसके अलावा, पीएसयू ओएमसीज नियमित और औचक निरीक्षण के माध्यम से इन मानकों को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, तथा कमियां पाए जाने पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) पीएनजीआरबी (आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) आचार संहिता) विनियम, 2010, खुदरा बिक्री केन्द्रों पर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले सभी कर्मियों (कर्मचारियों, संविदा श्रमिकों, परिवहन दल और सुरक्षा कर्मियों सहित) को प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करना अधिदेशित करता है।

पीएसयू ओएमसीज डीलरों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सुरक्षा पहलुओं पर नियमित प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं। यह ओएमसी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले वार्षिक ऑडिट का हिस्सा है। बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध सभी अग्निशमन प्रणालियों की सक्षम एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जाँच की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

*****